भाग—7

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

वित्त विभाग के महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(01 अप्रैल, 2019 से 15 सितम्बर, 2023 तक)

सप्तम खण्ड

(वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
सितम्बर, 2023

पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, देहरादून
उत्तराखण्ड

<u>प्रस्तावना</u>

राज्य में वित्त विभाग के शासनादेशों का संकलन प्रथम बार वर्ष 2010 में प्रकाशित किया गया था जिसका वर्तमान में सप्तम संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस संकलन में 01 अप्रैल, 2019 से 15 सितम्बर, 2023 तक के वित्त विभाग के शासनादेशों के अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय विभागों के वित्तीय उपाशय संबंधी महत्वपूर्ण शासनादेशों को भी सम्मिलित किया गया है। संदर्भ की सुविधा के लिए इसे 17 भागों में विभाजित किया गया है जिसका उल्लेख विषय सूची में है।

संकलन को डॉ0 एस0 एन0 पाण्डे, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के निदेशन में श्री जे0 सी0 जोशी, निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, देहरादून, श्री बिक्रम सिंह जन्तवाल, अपर निदेशक, कोषागार, श्री खजान चन्द्र पाण्डे, संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, श्री टी0 एस0 नेगी, सहायक निदेशक एवं श्री पी0 एस0 नौटियाल, समन्वयक द्वारा तैयार किया गया है, जो धन्यवाद के पात्र हैं।

आशा है कि यह संकलन सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये वित्त सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून : दिनांक 18 सितम्बर, 2023

विषय सूची

क0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	उत्तराखण्ड वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन खण्ड 1 संशोधन संबंधी विविध शासनादेश।	1–38
2	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 में संशोधन/अवकाश संबंधी शासनादेश अवकाश नियम	41–50
3	अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन/जेम (GeM) संबंधी दिशा–निर्देश/टेण्डर प्रकिया संबंधी शासनादेश।	55–118
4	सामान्य भविष्य निधि खातों के रख–रखाव संबंधी दिशा–निर्देश।	121–128
5	सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन/समयमान वेतनमान संबंधी शासनादेश।	131–148
6	वेतन उच्चीकरण/संशोधन/वेतन निर्धारण संबंधी शासनादेश।	151–178
7	विभिन्न भत्ते/ बोनस संबंधी शासनादेश।	181–206
8	आहरण वितरण अधिकारियों हेतु दिशा–निर्देश।	209–218
9	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS)/HRMS मॉडयूल से संबंधित शासनादेश।	221–238
10	पेंशन/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) संबंधी शासनादेश/अधिनियम।	241–262
11	उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा नियम संग्रह/ऑडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या ई–मोड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना/विभिन्न ऑडिट कमेटियों का गठन संबंधी शासनादेश।	265–324
12	भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन/कतिपय मामलों मैं स्टाम्प शुल्क में छूट/विलेखों का रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारण संबंधी शासनादेश।	349–374
13	ई0एफ0सी0 संबंधी शासनादेश।	377–382
14	वाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAP) संबंधी शासनादेश।	385–394
15	वैयक्तिक लेखा खाता (PLA) संबंधी शासनादेश।	397–404
16	विविध शासनादेश।	407–438

1. उत्तराखण्ड वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन खण्ड 1 में संशोधन संबंधी विविध शासनादेश

विषय सूची

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग –1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन किये जाने के सम्बध में	149101 / XXVII(7) / E-20109/2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023	1–8
2.	उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिक भाग –1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।	57 / XXVII(7) / 22-36/2010-11, दिनांक 25 मार्च, 2022	9–26
3.	उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिक भाग –1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।	293 / XXVII(7) / 36/2010-11, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020	27–30
4.	उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिक भाग –1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।	434 / XXVII(7) / 36/2010-11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019	31–38

/149101/2023

संख्या—149101/XXVII(7)/E-20109/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7 **देहरादूनः दिनांक 25 अगस्त, 2023**

विषयः उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018), (समय—समय पर यथासंशोधित) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—1 (राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं शासनादेश संख्या—562/XXVII (7)/2017 दिनांक 24 मई, 2010 द्वारा प्रख्यापित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2010 को अधिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या—61/XXVII (7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (समय—समय पर यथासंशोधित) का प्रख्यापन किया गया है।

2. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के अन्तर्गत विभिन्न मामलों में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा न्यूनतम होने से अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रकरण उच्च स्तर पर सन्दर्भित किये जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब की स्थिति दृष्टिगोचर है। अतः बदलते परिवेश में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की निर्धारित सीमा को परिवर्तित/बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, ताकि विभाग के स्तर पर कार्यों के निष्पादन में सरलीकरण के साथ प्रक्रिया में गति लायी जा सके।

3. उक्त क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के भाग—2 "अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार" के विवरण पत्र—1 'आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय', विवरण पत्र—2 'भूमि, भवन और किराया', विवरण पत्र—3 'निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय', विवरण पत्र—4 'ठेके और टेण्डर' में प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की वित्तीय परिसीमाओं में संलग्नक के अनुसार संशोधन/परिवर्धन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. इस सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

5. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (समय—समय पर यथासंशोधित) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश संख्या—61/XXVII (7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018, शासनादेश संख्या—434/XXVII (7)36/2010-11 दिनांक 23 दिसम्बर, 2019, शासनादेश संख्या—293/XXVII (7)36/2010-11 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 एवं शासनादेश संख्या—57/XXVII (7)/22-36/2010-11 दिनांक 25 मार्च, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त वर्णित शासनादेशों की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 24-08-2023 13:46:12
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

/149101/2023

संख्या– 149101 (1)/XXVII(7)/E-20109/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून।
12. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 250 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. निदेशक, आई.टी.डी.ए. को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
18. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 24-08-2023 13:58:38
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

भाग–2

अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार

विवरण पत्र–1

आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	(vi) बीज, पौध, रसायन एवं उर्वरक क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	बीज क्रय हेतु एक बार में 30,000/– (रू0 तीस हजार) मूल्य तक।	बीज क्रय हेतु एक बार में 2.50 लाख/–(रू0 दो लाख पचास हजार) मूल्य तक।	
	(vii)औषधियों का क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	–	पूर्ण अधिकार	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2 (i) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2 (ii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) की सीमा तक।	–यथावत्–	
		2(iii)निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें	–	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़) की सीमा तक।	
		2(iv)निदेशक, होम्योपैथिक	–	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	
		3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) की सीमा तक।	–यथावत्–	
		4.(i) मुख्य चिकित्साधिकारी	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 5.00	–यथावत्–	

		/ राजकीय चिकित्सालयों के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	लाख (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।		
		4. (ii) जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी 4.(iii) जिला होम्योपैथिक मेडिकल अधिकारी	–	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) की सीमा तक।	

विवरण पत्र–2
भूमि, भवन और किराया

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	(क) राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवसिक भवनों और डाक बंगलों को छोडकर) भवनों का विकय स्वीकृत करना।	1.प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	भवनों का बाजार मूल्य पर विकय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
		2. विभागाध्यक्ष	रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) खाते मूल्य तक।	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) खाते मूल्य तक।	
	(ख) राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवसिक भवनों और डाक बंगलों को छोडकर) भवनों का विध्वंस स्वीकृत करना।	1.प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
		2. विभागाध्यक्ष	रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) खाते मूल्य तक।	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) खाते मूल्य तक।	
		3. जिलाधिकारी	–	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) खाते मूल्य तक, विभागाध्यक्ष को सूचित करते हुए।	
6.	गोदामों का किराया	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	–यथावत्–	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट 10 के नियम 24 में दी हुई शर्तों के अधीन। पूर्व में निर्धारित प्रकिया एवं शर्तों के अनुसार। किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	–यथावत्–	
		3. जिलाधिकारी	–	पूर्ण अधिकार (खाद्यान्न गोदामों हेतु)	
		4. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) प्रतिमाह तक।	–यथावत्–	

विवरण पत्र-3

निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
3.	निर्माण कार्यो के ब्यौरेवार अनुमानों / अनुपूरक अनुमानों /पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।	पूर्ण अधिकार	विलोपित	यदि किसी निर्माण कार्य में कार्य में प्राविधिक स्वीकृति की आवश्यकता है तो विभाग द्वारा प्राविधिक स्वीकृति की कार्यवाही आगणन की टी0ए0सी0 से पूर्व सम्पन्न कर ली जायेगी, इस हेतु विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अन्तर्गत सीमाओं/प्रकिया का निर्धारण कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में विभाग प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे कि कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् प्राविधिक स्वीकृति (टी0एस0) की आवश्यकता नहीं है।
		2. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	रू0 2.5 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।		
		3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो0नि0वि0, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।		
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक,लो0नि0वि0/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।		
		5-.अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।		

विवरण पत्र-4

ठेके और टेण्डर

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिये टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग /लघु सिंचाई	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय-व्ययक में

		2(क) अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़) से अधिक के कार्य मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) से अधिक के कार्य मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	प्रावधानित धनराशि की सीमा तक।
		2-(ख) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/ यांत्रिक, सिंचाई।	-		
		2-(ग) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, लो0नि0 विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।		
		3. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0, अधिशासी अभियन्ता /प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग/ अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	रू0 1.50 करोड़ (रू0 एक करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), लघु सिंचाई विभाग। ।	-		
		5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, सिंचाई विभाग।	-		
		6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।		
		7. सहायक अभियन्ता (सिविल). लो0नि0वि0/ सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई।	रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	
		8. मुख्य विद्युत निरीक्षक।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।		
		9. सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक सिंचाई विभाग ।	-		
		10. सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक लो0नि0वि0/ ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई। ।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।		
4	बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्क आर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य।	1. अधिशासी अभियन्ता	रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) की सीमा तक।	-यथावत्-	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. सहायक अभियन्ता	-	रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) की सीमा तक।अधिशासी अभियन्ता की पूर्व सहमति से।	

शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अध्याय–4 परिशिष्ट–1 में विभागाध्यक्ष की सूची कमांक–93 पर निदेशक, राष्ट्रीय कैडट कोर, उत्तराखण्ड के स्थान पर अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडट कोर, उत्तराखण्ड पढ़ा जायेगा।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– / XXVII(7)/22-36/2010–11

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2022

विषयः उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा ''वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018'' का प्रख्यापन किया गया है।

2. वित्तीय अधिकारों की निर्धारित सीमा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम होने के कारण अधिकांश मामलों में कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण शासन को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। शासन स्तर से स्वीकृति निर्गत होने में विलम्ब होने के कारण सम्बन्धित कार्यों में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न होने तथा आकस्मिक कार्य, निर्माण सामग्री आदि के मूल्यों में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप ''वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के विवरण पत्र–1 ''आकस्मिक एवं अन्य प्रकीर्ण व्यय, विवरण पत्र–2 ''भूमि, भवन और किराया'' विवरण पत्र–3 ''निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय, विवरण पत्र–4 ''ठेके और टेण्डर'' विवरण पत्र–5 ''भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण पत्रों की विभिन्न मदों में प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की वित्तीय परिसीमाओं में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में तद्नुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश संख्या–61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,
/
(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–57 (1)/XXVII(7)/22–36/2010–11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।

8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 100 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. निदेशक, आई.टी.डी.ए. कों इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

भाग–2
अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार
विवरण पत्र–1
आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	(iii) टेलीफोन /मोबाईल/डेटा कार्ड /लीज लाईन /इंटरनेट/वी–सेट/ फैक्स का संयोजन ।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	सुसंगत नियमों / शासनादेशों में निर्धारित अनुमन्यता के अधीन बजटीय सीमा के अंतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	—	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्क्ष	—	रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) प्रतिवर्ष की सीमा तक।	
	(v) कम्प्यूटर उपकरण एवं उपस्कर फाटोकॉपियर वॉटर कूलर/ प्यूरीफायर / ए0सी0 आदि कार्यालय में स्थापित उपकरणों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध किया जाना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	अधिप्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए बजटीय सीमा के अंतर्गत। प्रतिबंध यह कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा। अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य सक्षम फर्म से करवाया जा सकेगा। जिसकी दर कय मूल्य (करों को छोड़कर) की 10% से अनधिक होगी।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	एक समय में रू0 15.00 हजार (रू0 पन्द्रह हजार) की सीमा के अंतर्गत तथा एक वर्ष में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) तक की सीमा तक।	एक समय में रू0 15.00 हजार (रू0 पन्द्रह हजार) की सीमा के अंतर्गत तथा एक वर्ष में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) तक की सीमा तक।	
	(vii) औषधियों का कय	1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) की सीमा तक।	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) की सीमा तक।	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज	—	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) की सीमा तक।	
		4. मुख्य चिकित्साधिकारी/राज कीय चिकित्सालयों के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	—	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	

	(x) नीलामकर्ताओं को जहां उनकी सेवाएं लेना अनिवार्य समझा जाए, कमीशन का भुगतान स्वीकृत करना	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	–
		2. विभागाध्यक्ष	–	पूर्ण अधिकार	–
2.	(i) किसी शासकीय आयोजन/ सेमीनार /मेलों और प्रदर्शनी के सम्बन्ध में स्थानों और टैन्ट, नावों, मोटर बोट, साइकिलों आदि को किराये पर लेने तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।	1. गृह विभाग	–	पूर्ण अधिकार	–
		2. विभागाध्यक्ष	–	एक वर्ष में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियॉ अपेक्षित न हों।
		3. पुलिस महानिरीक्षक	एक वर्ष में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियॉ अपेक्षित न हों।
		4. उप पुलिस महानिरीक्षक	एक वर्ष में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियॉ अपेक्षित न हों।
		5. पुलिस अधीक्षक	एक वर्ष में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियॉ अपेक्षित न हों।
3.	किसी शासकीय आयोजन/ सेमीनार /मेलों व प्रदर्शनियों के लिए व्यय स्वीकृत करना जिसमें परिवहन व्यय, अस्थाई कर्मचारियों का यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय इत्यादि सम्मिलित है।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	पूर्ण अधिकार	

4.	1. पुलिस हिरासत में बन्द अभियुक्तों के ईलाज के लिये गैर–सरकारी चिकित्सकों को शुल्क का भुगतान स्वीकृत करना।	पुलिस अधीक्षक	प्रत्येक मामले में, जहाँ ऐसा व्यय रू0 1.00 हजार (रू0 एक हजार) से अधिक न हो।	पूर्ण अधिकार	भुगतान की स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि एक्स–रे/एम0आर0आई0/सी0टी0 स्कैन अथवा अन्य टेस्ट अथवा मांगा गया शुल्क उचित है।
6.	विशेष आकस्मिक व्यय की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यय, जब वे साम्प्रदायिक दंगों, हड़ताल और इसी प्रकार के अन्य उपद्रवों के सम्बन्ध में किये गये हो, स्वीकृत करना।	1. पुलिस महानिदेशक	–	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. पुलिस उप महानिरीक्षक	एक वर्ष में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर अर्थात किसी एक दंगा या हड़ताल इत्यादि पर रू0 10.00 हजार (रू0 दस हजार) की सीमा तक बजट उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर अर्थात किसी एक दंगा या हड़ताल इत्यादि पर रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) की सीमा तक।	

12	प्रदेश में आतंकी/ साम्प्रदायिक दंगों/प्राकृतिक / दैवीय आपदा से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों, जिनके जान–माल को गम्भीर हानि पहुंची है, पुनर्वासित करने हेतु सहायतार्थ दी जाने वाली राहत की धनराशि, निम्न रूप में स्वीकृत करना– (1) प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं) के परिवार को। (2) स्थायी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं)। (3) अस्थायी रूप से अपंग हो गये प्रत्येक व्यक्ति को। (4) सांघातिक चोट के परिणाम स्वरूप घायल व्यक्ति को जो ऊपर (3) में अपंग की परिभाषा में न आता हो। (5) चल सम्पत्ति की हानि की स्थिति में। (6) अचल सम्पत्ति को हुई क्षति की स्थिति में।	1. सचिव, गृह/ आपदा	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार, स्वीकृत बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. जिलाधिकारी	–	पूर्ण अधिकार	
19	शजरा और खसरा के लिए अनुमान स्वीकृत करना।	1. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	–
		2– अधिशासी अभियन्ता,	रू0 5.00 हजार (रू0 पांच हजार) की सीमा तक	पूर्ण अधिकार	

विज्ञापन व्यय					
24	निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/अपंजीयत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्यों जैसे (नक्शे, नोटिस आदि) का मुद्रण कराना।	1.प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	अधिकारों का प्रयोग विकय प्रपत्रों के सम्बन्ध में नहीं किया जायगा। अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जायेगा। अधिप्राप्ति नियमावली का पालन व बजट सीमान्तर्गत
		2– विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 20.00 हजार (रू0 बीस हजार) रूपये तक	पूर्ण अधिकार	
		3– कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10.00 हजार (रू0 दस हजार) रूपये तक	प्रत्येक मामले में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) रूपये तक	
25	सामान्य निर्वाचन (जनरल इलेक्शन्स), द्विवर्षीय निर्वाचन और उप निर्वाचन, मतदाता सूचियों में वार्षिक संशोधन से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अन्य निर्वाचन सामग्री स्थानीय रूप से मुद्रण स्वीकृत कराना।	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
अन्य व्यय					
27	किसी विशिष्ट कार्य के लिए वाह्य व्यावसायिक विशेषज्ञ, परामर्श देने वाली फर्मो आदि की सेवायें की स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजटीय सीमान्तर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) तक	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	
28	वेब सर्विसेस, मोबाईल एप, वेबसाईट/पोर्टल डेवलपमेंट, एवं इनका वार्षिक अनुरक्षण/सॉफ्टवेयर का लाईसेंस शुल्क।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2– विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) रूपये तक	प्रत्येक मामले में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) रूपये तक	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	

विवरण पत्र–2
भूमि, भवन और किराया

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवसिक भवनों और डाक बंगलों को छोडकर) भवनों का विकय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	भवनों का बाजार मूल्य पर विकय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
		2. विभागाध्यक्ष	रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) खाते मूल्य तक	रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) खाते मूल्य तक	
3	पट्टे पर ली जाने वाली भूमि का किराया स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट 10 मे दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए पूर्ण पारदर्शिता से। (शासनादेश संख्या– ए–2 –930/दस– 84–14(30)/7, दिनांक 28 फरवरी, 1984)
		2. विभागाध्यक्ष	–	पूर्ण अधिकार	
5	भवनों के निर्माण के लिये चुने गये स्थानों पर स्थित हरे या सुखे वृक्षों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करना।	1. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ कि वन तथा उद्यान विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ कि वन तथा उद्यान विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।	वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाय।
		2. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 25.00 हजार (रू0 पच्चीस हजार) तक इस प्रतिबंध के साथ कि वन तथा उद्यान विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।	पूर्ण अधिकार।	
6.	गोदामों का किराया	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट 10 के नियम 24 में दी हुई शर्तों के अधीन। पूर्व में निर्धारित प्रकिया एवं शर्तों के अनुसार। किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा।
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 20.00 हजार (रू0 बीस हजार) प्रतिमाह तक	पूर्ण अधिकार	

		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 हजार (रू0 पांच हजार) प्रतिमाह तक	प्रत्येक मामले में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) प्रतिमाह तक	

विवरण पत्र–3
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	क– मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI तथा विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के अधीन। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	धार्मिक तथा पुरातत्व संबंधी भवनों तथा विद्यमान आवासीय भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोडकर किसी एक मामले में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) तक निम्नलिखित शर्तों के अधीनः– (1) यह कि आवासिक भवन शासन द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या समय– समय पर शासन द्वारा नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्त यह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। (2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फन्डामेन्टल रूल्स /तत्सम्बन्धी	धार्मिक तथा पुरातत्व संबंधी भवनों तथा विद्यमान आवासीय भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोडकर किसी एक मामले में रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख) तक निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के अधीनः– (1) यह कि आवासीय भवन शासन द्वारा समय–समय पर नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। (2) आवासीय भवनों में बिजली लगाने का व्यय तथा फिटिंग्स की मात्रा फन्डामेन्टल /सब्सिडियरी रूल्स तथा तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा के अनुसार होनी चाहिए। (3) आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न	

			विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा और उनमें फिटिंग्स की मात्रा सब्सीडियरी रूल्स के अनुसार होनी चाहिए। (3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो योजना के अनुरक्षण के लिए, जब वह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गो के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिए अनुमन्य हो। (4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत न आते हों। (5) डाक बंगले/ रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय न्यू डाक बंगलों से निकटता के सिद्वान्त को दृढ़ता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण कार्य के लिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (6) गाड़ियों के लिए (हल्की तथा भारी दोनों प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की	वर्गो के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिए अनुमन्य हो। (4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत न आते हों। (5) डाक बंगले/ रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलों से निकटता के सिद्वान्त को दृढ़ता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण कार्य के लिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।	

			जायेगी और कय के लिये आदेश देने से पहले मुख्यमंत्री जी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।		
	ख– वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	आय–व्यय प्राविधान के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार	आय–व्यय प्राविधान के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार	आय–व्ययक प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत।
		2–विभागाध्यक्ष	आय–व्यय प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) की सीमा तक	आय–व्यय प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक	
3.	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/ अनुपूरक अनुमानों. /पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग	1. पूर्ण अधिकार	1. पूर्ण अधिकार	
		2. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग	रू0 2.5 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	रू0 2.5 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	
		3–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो0नि0वि0, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	3–रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) की सीमा तक	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग।	4. रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	4. रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	
		5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	5– रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।	
8	गैर आवासिक भवनों में बिजली संबंधी निर्माण कार्य के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	1. पूर्ण अधिकार	1. पूर्ण अधिकार	—
		2. मुख्य अभियंता, लोनिवि0 /सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण /लघु सिंचाई विभाग	2. रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक	3. रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक	

		3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल व विद्युत/ यांत्रिक लो0नि0वि0 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	3. रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) की सीमा तक	3. रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक	–

विवरण पत्र–4
ठेके और टेण्डर

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संषोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिये टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग /लघु सिंचाई	1. पूर्ण अधिकार	1. पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2(क) अधीक्षण अभिन्यन्ता लो0नि0 विभाग/सिंचाइ विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	2. पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़) से अधिक के कार्य मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	2. पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़) से अधिक के कार्य मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	
		2–(ख) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, लो0नि0 विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) की सीमा तक।	रू0 75.00 लाख (रू0 पच्चतर लाख) की सीमा तक।	
		3. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0, अधिशासी अभियन्ता /प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग।	रू0 75,00,000 (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	रू0 75,00,000 (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 75,00,000 (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	रू0 75,00,000 (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	
		5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।	
		6. सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई।	रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	
		7. मुख्य विद्युत निरीक्षक।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	

		8. सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	
विवरण पत्र-4 "ठेके और टेण्डर" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-5 के पश्चात नया कमांक-6 का जोड़ा जाना।					
6	विभिन्न प्रकार की अधिप्राप्तियों हेतु टेण्डर निर्गत किया जाना एवं स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	–	पूर्ण अधिकार	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के सीमांतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	–	पूर्ण अधिकार	

विवरण पत्र-5
भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यालयों हेतु उपकरण /संयत्र एवं नई साज-सज्जा यथा कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर, जनरेटर, फर्नीचर आदि का क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 2.00 लाख (रु0 दो लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	एक बार में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) की सीमा तक।	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	–	एक बार में रु0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
2.	विभागीय कार्य हेतु विशिष्ट उपकरण एवं संयंत्र का क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 20.00 लाख (रु0 बीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	एक बार में रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		I पुलिस महानिदेशक	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10.00 लाख (रू0 दस	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक	

			लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		II महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		III निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तककी सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	–	एक बार में रु0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
3.	अभियंत्रण विभागों में औजारों संयंत्र का क्रय और उनके लिये आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	बजट उपलब्धता के सीमान्तर्गत।
		2. प्रमुख/मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग	इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 2.00 करोड़ (रु0 दो करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 50.00 लाख (रु0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 3.00 करोड़ (रु0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	

		3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,00,000 लाख (रू0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,00,000 लाख (रू0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	
		4. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई /ग्रामीण निमार्ण विभाग	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 5,00,000 लाख (रू0 पांच लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 50,00,000 लाख (रू0 पचास लाख) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 5,00,000 लाख (रू0 पांच लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 50,00,000 लाख (रू0 पचास लाख) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	
4.	(ख) औजारों और संयंत्र की मरम्मत के लिये अनुमान स्वीकृत किया जाना	1. विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण एवं स्वास्थ्य विभाग को छोड़ते हुए)	1. रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) तक।	1. पूर्ण अधिकार	अधिप्राप्ति नियमों का पालन करते हुये उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत।
		2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज	2. पूर्ण अधिकार	2. पूर्ण अधिकार	
		2. अधीक्षण अभियन्ता सिविल/वि0/यां0, लो0नि0वि0, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	2. पूर्ण अधिकार	2. पूर्ण अधिकार	
		3. अधिशासी अभियन्ता सिविल, लो0नि0वि0 सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	3. रू0 15,000 (रू पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि./यां.) की संस्तुति पर।	3. रू0 15,000 (रू पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि./यां.) की संस्तुति पर।	
		4. अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0	रू0 60,000/— (रू0 साठ हजार)	रू0 60,000/— (रू0 साठ हजार)	
निष्प्रोज्य सामग्री व सामग्री का निस्तारण					
7	फालतू और निष्प्रोज्य भण्डार का विकय स्वीकृत करना। (अभियंत्रण	1. प्रशासकीय विभगा	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) से अधिक लागत की फालतू एवं निष्प्रोज्य भण्डार के विकय के

	विभागों को छोड़कर)				प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव की अध्यक्षता में एक परामर्शदार्ती समिती का का गठन किया जायेगा। जिसके सदस्य वित्त विभाग के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों) तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होंगे। केवल अतिविशिष्ट तथा जटिल मामले ही वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	निष्प्रोज्य समिति के अनुमोदन उपरान्त किन्तु जब भण्डार किसी प्राविधिक व औद्योगिक विद्यालय का हो तो विक्रय के लिए परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
		3–कार्यालयाध्यक्ष	रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) से अनधिक मूल मूल्य (Basic Price) तक	रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) से अनधिक मूल मूल्य (Basic Price) तक	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार।
8.	किसी भण्डार (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) को फालतू/निष्प्रोज्य घोषित करना तथा उसे नष्ट करना अथवा सार्वजनिक नीलामी द्वारा उनका विक्रय स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार।
		2. प्रमुख/मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो.नि.वि./सिंचाई/ लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	पूर्ण अधिकार	
		3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/ यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
		4.अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, सिंचाई/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 20.00 हजार (रू0 बीस हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
		5. परिवहन आयुक्त	रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) तक	रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) तक	

टिप्पणीः– बिन्दु (क) व (ख) को वर्तमान में एक साथ समाहित कर दिया गया है।

9	निष्प्रोज्य घोषित भण्डार के सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	विलोपित	विलोपित
		2. परिवहन आयुक्त	रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) तक	विलोपित	
		3. प्रमुख/मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो.नि.वि. /सिंचाई/ लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख) पुस्तक मूल्य तक।		
		4. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/ यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	विलोपित	
		5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग, मुख्य विद्युत नियंत्रक।	रु0 20.00 हजार (रू0 बीस हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	विलोपित	

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–293/XXVII(7)36/2010–11

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 9 अक्टूबर, 2020

विषय: उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा "वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018" का प्रख्यापन किया गया है।

2. वित्तीय अधिकारों की सीमा न्यूनतम होने के कारण छोटे–छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार केन्द्र पोषित योजनाओं के प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किये जाते हैं। शासन स्तर से विलम्ब से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण विकास कार्यों को अपेक्षित गति नही मिल पाती है साथ ही वर्तमान में निर्माण सामग्री, मजदूरी, ईंधन आदि की दरों में वृद्धि हुई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में तथा कार्य को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत छोटे निर्माण कार्यों एवं लघु निर्माण कार्यों (माइनर वर्क्स) की वर्तमान सीमा को संलग्नक परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या–1 के अनुसार संशोधित/परिवर्धित किये जाने तथा केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अधिकार संलग्नक परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार प्रशासकीय विभाग में प्रतिनिधानित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश संख्या–61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं शासनादेश संख्या–323/XXVII(7)/19-50(07)/2019 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त वर्णित शासनादेशों की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–293/XXVII(7)36/2010–11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।

8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 200 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. निदेशक, आई.टी.डी.ए. को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या– /XXVII(7)36/2010–11 दिनांक अक्टूबर, 2020 का संलग्नक।

1. विवरण पत्र–4 'ठेके और टेण्डर' में संशोधन:–

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	शासनादेश संख्या–434 दिनांक 23–12–2019 द्वारा प्रदत्त परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	1.(क) छोटे निर्माण कार्यों तथा लघु निर्माण कार्यों (Minor works) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	(वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 20,00,000 (रू0 बीस लाख) तक	–तदैव–
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) तक	–तदैव–

2. विवरण पत्र–4 "ठेके और टेण्डर" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–4 के पश्चात नया क्रमांक–5

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	प्रस्तावित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
5.	केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	1. वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक। 2. केन्द्र पोषित योजनाओं में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण (फण्डिंग पैटर्न) में यदि राज्यांश में वृद्धि हो तो वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। 3. व्यय वित्त समिति (EFC) के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के शासनादेश लागू रहेंगे।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– /XXVII(7)36/2010–11

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून: दिनांक23 दिसम्बर, 2019**

विषय: उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा "वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018" का प्रख्यापन किया गया है।

2. वर्तमान में सामग्रियों, मजदूरी, ईंधन आदि की दरों में हुई वृद्धि तथा कार्य को सुचारू रूप से संचालित किये जाने एवं शासन स्तर पर छोटे–छोटे कार्यों की अनुमति हेतु विभिन्न स्रोतों से सन्दर्भ प्राप्त होने के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की वित्तीय परिसीमाओं में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत "वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के परिशिष्ट–1 एवं भाग–2 में उपबन्धित वित्तीय अधिकारो में संलग्न परिशिष्टों के अनुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश संख्या–61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–434 (1)/XXVII(7)36/2010–11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।

13. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 250 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. निदेशक, आई.टी.डी.ए. को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के अध्याय–04 (विभागाध्यक्षों की सूची) परिशिष्ट–1 में अंकित विभागाध्यक्षों की सूची के कमांक–105 के पश्चात निम्न विभागाध्यक्षों के नाम अग्रेत्तर सम्मिलित किये जाते हैं:–

106. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।

107 निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (श्रम चिकित्सा सेवाऐं) उत्तराखण्ड।

108. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, सी.टी.आर.एफ.ए., सुद्धोवाला, देहरादून।

109. आयुक्त, खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग।

110. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, उत्तराखण्ड।

****

परिशिष्ट–2
अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार

विवरण पत्र–1
आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण

विवरण पत्र–1 "आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय" के अन्तर्गत क्रमांक–1 (5) के कालम–5 के स्थान पर कालम–6 का प्रतिस्थापन एवं क्रमांक–26 के बाद क्रमांक–27 व 28 जोड़ा जाना:–

क. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें
1	2	3	4	5	6
1	(V) कम्प्यूटर उपकरण एवं उपस्कर, फोटोकॉपियर, वॉटर कूलर/ प्यूरीफायर / ए0सी. आदि कार्यालय सम्बन्धी उपकरणों का वार्षिक अनुरक्षण/ अनुबन्ध किया जाना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	प्रतिबन्ध यह कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा जिसकी दर क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) की 8 प्रतिशत से अनधिक होगी।	अधिप्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए एवं बजटीय सीमा में रहते हुए वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा जिसकी दर क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) की 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।
		2–विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार		
		3–कार्यालयाध्यक्ष	एक समय में रू0 15,000/– (रू0 पन्द्रह हजार) की सीमा के अन्तर्गत तथा एक वर्ष में रू0 1,00,000 (रू0 एक लाख) तक की सीमा तक।		

अन्य व्यय

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
27.	किसी विशिष्ट कार्य के लिए वाहय व्यावसायिक विशेषज्ञ, परामर्श देने वाली फर्मो आदि की सेवायें की स्वीकृति प्रदान करना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/–(रू0 दस लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख) तक	
28.	वेब सर्विसेस, मोबाईल एप, पोर्टल डेवलपमेंट एवं इनका वार्षिक अनुरक्षण।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/–(रू0 दस लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख) तक	

विवरण पत्र–3
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें
1	2	3	4	5
3	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/अनुपूरक अनुमानों/पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	3–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	3– रू0 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।	3–रू0 50,00,000/– (रू0 पचास लाख) की सीमा तक।
		5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	5– रू0 8,00,000/– (रू0 आठ लाख) की सीमा तक।	5– रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) की सीमा तक।

विवरण पत्र–4
ठेके और टेण्डर

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	
1.	1.(क) छोटे निर्माण कार्यों (पेटी वर्क्स) तथा लघु कार्यों (Minor works) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	(वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक)
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक	–तदैव–
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार) तक	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक	–तदैव–
2.	1.(ख) आउटसोर्सिंग से सफाई, सुरक्षा, माली, वाहन चालक, कम्प्यूटर आपरेटर, टैक्नीशियन, कैन्टीन/मैस (भोजन व्यवस्था) पलम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि की व्यवस्था के लिए टेण्डर/ठेके स्वीकृत करना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 25,00,000/– (रू0 पच्चीस लाख) तक	–तदैव–

		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार) तक	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक	–तदैव–
3.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर स्वीकृत करना।	2.(ख) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत/ यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	2–(ख) रू0 35,00,000/– (रू0 पैंतीस लाख) की सीमा तक।	रू0 50,00,000/– (रू0 पचास लाख) की सीमा तक।	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		4–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।	रू0 75,00,000/– (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	–तदैव–
		5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/ यांत्रिक, लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग /ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	–तदैव–
		8–सहायक अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक	रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख) की सीमा तक।	रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	–तदैव–

विवरण पत्र–4 "ठेके और टेण्डर" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के पश्चात नया क्रमांक–4 का जोड़ा जाना।

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
4	बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्कआर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य।	4–अधिशासी अभियन्ता	4–रू0 2,50,000/– (रू0 दो लाख पचास हजार) तक	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।

विवरण पत्र–5

भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति

विवरण पत्र–5 "भण्डार (स्टोर) तथा अन्य चल सम्पत्ति" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–4 (ख) "औजारों और संयत्र की मरम्मत के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना" के क्रमांक–3 के पश्चात नया क्रमांक–4 का जोड़ा जाना।

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
4	(ख) औजारों और संयत्र की मरम्मत के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना।	4–अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0	4–रू0 60,000/– (रू0 साठ हजार)	–

विवरण पत्र–8
अग्रिम धनराशियाँ

विवरण पत्र–8 "अग्रिम धनराशियाँ" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–8 व बिन्दु संख्या–9 का संशोधन तथा क्रमांक–14 के बाद क्रमांक–15 नया जोड़ा जाना।

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति अग्रिम।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	चिकित्सा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया अनुसार 75% की सीमान्तर्गत बजटीय प्राविधानों के अधीन।
		2–विभागाध्यक्ष	रू0 5,00,000 (पांच लाख) तक।	रू0 10,00,000 (दस लाख) तक।	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	रू0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) तक।	रू0 3,00,000 (तीन लाख) तक।	
9.	कार्यालय व्यय	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में निर्धारित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक
		2–विभागाध्यक्ष		रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष		रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख) तक	

अग्रिम धनराशियाँ

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
15.	प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय हेतु अग्रिम स्वीकृत करना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000/–(रू0 दस लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख) तक	

****